न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर

(पीठासीन अधिकारी सांवर मल वर्मा आई0ए0एस0)

अपील संख्या :– 87/2015 (धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956) (RCMS No.2015/00009)

1. दामोदर
2. रामबाबू
3. धर्मसिंह

पुत्रान पिल्लू जाति धाकड निवासी नगला खुशालीराम वीरमपुरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....अपीलान्ट

बनाम

1. परभाती पुत्र कुन्जीराम जाति धाकड निवासी पिदावली तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....असल रैस्पोडेन्ट

2. ग्राम पंचायत खोहरा तहसील बयाना जिला भरतपुर।

.....तरतीवी रैस्पोडेन्ट

अपील अंतर्गत धारा 76 एल आर एक्ट विरूद्ध आदेश उपजिला कलक्टर बयाना दिनांक 14.10.2015 व सिलसिले नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 20.4.2013 ग्राम पंचायत खोहरा विरासत मृतक श्रीमती अतरकौर।

उपस्थितिः–

1. श्री दुलीचंद शर्मा वकील अपीलान्ट
2. श्री महाराजसिंह वकील रैस्पोडेन्ट

न्यायालय संभागीय आयुक्त भरतपुर संभाग, भरतपुर

निर्णय

दिनांकः– 25.7.2022

यह अपील अन्तर्गत धारा 76 भू राजस्व अधिनियम 1956 उप जिला कलक्टर बयाना के निर्णय दिनांक 14.10.2015 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से हैं कि सरपंच ग्राम पंचायत खोहरा द्वारा मृतक मु0 अतरकौर पत्नि गिलगा धाकड का मृत्योपरान्त उसका विरासतन नामान्तरकरण संख्या 585 दिनांक 20.4.2014 को मुताबिक मृत्यु एवं वारिसान प्रमाण पत्र के अपीलान्ट संख्या 1,2,3 के नाम तस्दीक किया गया। जिसको रैस्पोडेन्ट संख्या 1 के द्वारा तहत अदालत में जरिये अपील चुनौती दी गई तहत अदालत द्वारा बाद कार्यवाही अपीलधीन आदेश दिनांक 14.10.2015 पारित करते हुये अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर तहसीलदार बयाना को आदेशित किया गया कि नामान्तरकरण संख्या 585 निर्णय दिनांक 20.4.2014 जो सरपंच ग्राम पंचायत खोहरा द्वारा स्वीकृत किया गया है निरस्त कर मूल वाद के निर्णय तक (जब तक अधिकारों का निर्णय

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

न हो जाता) मु0 अतरकौर पत्नि मिलमा धाकड के नाम किया जावे। इस आदेश के विरूद्ध यह अपील पेश की गई है। अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की गई। रैस्पोडेन्ट को जरिये सम्मन तलब किया गया। तहत पत्रावली तलब की गई।

वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये कथन किया कि तहत अदालत का आदेश दिनांक 14.10.2015 खिलाफ कानून रूयेदाद मिसिल है जो काबिल मंसूखी है क्योंकि उक्त निर्णय के दौरान अदालत मातहत द्वारा ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत किये गये नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 20.04.2013 को नियम विरूद्ध खारिज किया है। अदालत मातहत का आदेश न्याय संगत नहीं कहा जा सकता है क्योंकि अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर गौर नहीं किया है कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में अपील मियाद बाहर प्रस्तुत की थी तथा मियाद को कन्डोन किये बिना ही अपील को मैरिट पर निर्णित करने का अधीनस्थ न्यायालय को कोई अधिकार नहीं था। निर्णय अंतर्गत अपील अधिकार क्षेत्र से बाहर अवैधानिक एवं इनीशियो वॉइड है जो कि काबिल खारिजी है। नामान्तरकरण श्रीमती अतरकौर की मृत्यु होने पर उसकी खातेदारी की भूमि का विरासत का नामान्तरकरण अपीलान्ट के हक में दर्ज व स्वीकृत किया गया है जिसमें कोई कानूनी त्रुटी नहीं है, विवादित भूमि पर रैस्पो0 असल की खातेदारी तथाकथित बयनामें दिनांक 12.1.1976 के तहत श्रीमती अतरकौर के जीवन में नहीं हुई और न नामा0 दर्ज हुआ व अतरकौर के ही इन्द्राज राजस्व अभिलेखों में ताजीवन चलते रहे है श्रीमती अतरकौर की विरासत का नामा0 अपीलान्ट के अलावा रैस्पो0 के हक में नहीं हो सकता था लिहाजा नामा0 सही स्वीकृत हुआ है। इसके अलावा तथाकथित बयनामा रैस्पो0 ने फर्जी तौर पर तैयार कराया है तथा उसके आधार पर रैस्पो0 का कब्जा विवादित भूमि पर नहीं हुआ व अतरकौर के रहते रैस्पो0 के नाम भूमि नहीं आयी, बयनामा दिनांक 12.1.1976 का बताया जाता है तथा अतरकौर का देहान्त दिनांक 31.7.2015 को हुआ है, जो बयनामा होने के दिनांक से 34 साल बाद का समय होता है, इतने दिन तक बयनामा का नामा0 न होने का कोई करण रैस्पो0 ने अपनी अपील के जरिये अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष स्पष्ट नहीं किया है, न कोई कार्यवाही की है और न ही अतरकौर के विरूद्ध या उसके वारिसान के विरूद्ध कार्यवाही की है तथा कब्जा प्राप्त करने की भी कोई कोशिश नहीं की है। बयनामा सर्वथा अप्रासंगिक एवं प्रभावहीन है। रैस्पो0 का उक्त बयनामा के आधार पर खातेदारी प्राप्त करने एवं कब्जा प्राप्त करने के अधिकार भी समाप्त हो गये है, उसे अपीलान्ट के नामा0 को चैलेंज /निरस्त कराने के कोई अधिकार नहीं है। समय रहते सक्षम न्यायालय से भी अपनी खातेदारी की घोषणा व कब्जा प्राप्त करने की कार्यवाही नहीं की है। अपीलान्ट के नामान्तरकरण के विरूद्ध वह परिवेदित नहीं है। सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त सभी बिन्दुओं को नजर अंदाज करते हुये अंतर्गत अपील देने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय में अपीलान्ट द्वारा मियाद बाहर पील पेश की थी तथा अपील के साथ दफा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र व शपथ भी पेश नहीं किया परन्तु इस तथ्य को भी नहीं देखा गया। वकील अपीलान्ट ने यह

संभाग, भरतपुर

[illegible]
ओर से स्वीकृत विरासत के नामान्तकरण को चुनौती दी है। जिसे अदालत मातहत द्वारा
गलत रूप से खारिज किया है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क किया है कि रैस्पो0 द्वारा
सुयोग्य अधीनस्थ न्यायालय के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल में केस स्थानान्तरित करने
हेतु प्रार्थना पत्र देकर दिनांक 12.10.2015 को अधीनस्थ न्यायालय की कार्यवाही स्थगित
करने का स्थगन आदेश जारी हो गया है तथा इस बाबत अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थना
पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया था व स्थगन आदेश पेश करने हेतु समय मांगा था, परन्तु
दिनांक 14.10.2015 को अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र खारिज कर अपील का अन्तिम निर्णय
कर दिया , जो कि अवैधानिक है। माननीय राजस्व मण्डल का स्थगन होते हुये उन्हें
प्रकरण में कोई आदेश पारित करने का अधिकार नहीं था। इसके बावजूद भी अपीलाधीन
निर्णय पारित किया गया है जो कि निरस्तनीय है। वकील अपीलान्ट ने यह भी तर्क दिया
है कि रैस्पो0 का बयनामा सक्षम न्यायालय में दावा के जरिये चैलेंज कर दिया गया है।
जिसमें रैस्पो0 पक्षकार है। अतः बयनामा एक डिस्प्यूटेड दस्तोवज है जिसके आधार पर
रैस्पो0 की अपील पर मृतक के नैचुरल वारिसान के नामा0 को निरस्त नहीं किया जा
सकता है। अतः आदेश काबिले मंसूखी है। अधीनस्थ न्यायालय ने इस तथ्य पर भी गौर
नहीं किया कि विरासत का नामान्तरकरण पटवारी द्वारा पंचायत के समक्ष जिस दिन प्रस्तुत
किया गया है उसी दिन ग्राम पंचायत द्वारा निर्णित किया गया है। अतः यह कहना गलत
है कि नामान्त्तरकरण 45 दिन के बाद स्वीकृत किया गया है। वकील अपीलान्ट द्वारा
उपरोक्त समस्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट स्वीकार करने व एसडीओ बयाना
के आदेश दिनांक 14.10.2015 को निरस्त करने तथा दाखिल खारिज संख्या 585 दिनांक
20.4.2013 को बहाल किये जाने का अनुरोध किया गया।

वकील अपीलान्ट द्वारा की गई बहस का प्रतिउत्तर देते हुए वकील रैस्पों0 ने तर्क दिया कि ग्राम पंचायत द्वारा 45 दिन के बाद नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 20.04.2013 को स्वीकृत किया गया जो कि क्षेत्राधिकार के बाहर होने के कारण निरस्तनीय है। इसके अलावा रैस्पों0 द्वारा अदालत मातहत में अपीलाधीन निर्णय की जानकारी होते ही अंदर मियाद अपील प्रस्तुत की थी। वैसे भी क्षेत्राधिकार के बाहर पारित किए गए आदेश की अपील करने की कोई मियाद नहीं होती है। अदालत मातहत द्वारा अपीलाधीन निर्णय में मियाद संबंधी बिन्दु को छोडकर गुणावगुण के आधार पर निर्णय पारित किया है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय गुणावगुण के आधार पर होने के कारण अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत

25.7.2022
संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर

...ारी, बयाना दिनांक

अपील खारिज किए जाने योग्य है। क्योंकि यह स्वीकार्य तथ्य है कि विवादित भूमि के खातेदार द्वारा रैस्पों0 को अपने जीवनकाल में भूमि का विक्रय किया गया था तथा स्वत्व व कब्जा रैस्पों0 को स्थानान्तरित कर दिया था परन्तु ग्राम पंचायत द्वारा नामान्तकरण तस्दीक करते समय उक्त बिन्दु पर गौर नहीं किया गया। बेचान की गई भूमि पर विरासत का नामान्तकरण स्वीकृत किए जाने को उचित नहीं माना गया इस संबंध में वकील रैस्पों0 द्वारा आर.आर.डी. 1979 पेज 1 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला दिया। इसी प्रकार आर.बी.जे. 1985 पेज 55 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त का हवाला देते हुए तर्क दिया कि विक्रय की गई भूमि के प्रकरण में मूल वाद के निर्णय होने तक नामान्तकरण खोले जाने की कार्यवाही को स्थगित किए जाने को उचित माना गया है। चूंकि उपरोक्त प्रकरण में खातेदार द्वारा रैस्पों0 के पक्ष में विवादित भूमि का वर्ष 1976 में विक्रय कर स्वामित्व व कब्जा संभला दिया गया था। ऐसी स्थिति में अपीलाधीन निर्णय में किसी तरह की कोई अवैधानिकता या अनियमितता नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2015 यथावत रखा जावे।

रिव्यूटल में पुनः वकील अपीलान्ट ने तर्क दिया कि वकील रैस्पों0 द्वारा बहस में वर्णित नजीर आर.आर.डी. 1979 पेज 1 पर उद्धरित निर्णय में प्रतिपादित सिद्धान्त इस प्रकरण पर लागू नहीं होते क्योंकि उक्त नजीर में वर्णित निर्णय में विवादित भूमि का दोहरा विक्रय किया गया था जबकि उक्त प्रकरण में रैस्पों0 के पक्ष में खातेदार द्वारा कराई गई रजिस्ट्री पर ही प्रश्न चिन्ह लगाया गया। अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2015 निरस्त किया जावे व ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण 585 दिनांक 20.04.2013 बहाल किया जावे।

अपीलान्ट व रैस्पों0 के विद्वान अभिभाषगण की बहस सुनने व मनन करने व अपीलाधीन निर्णय संबंधी मूल पत्रावली का अवलोकन करने के बाद हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2015 उचित नहीं है क्योंकि अदालत मातहत उक्त निर्णय के द्वारा नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 20.04.2013 को निरस्त कर मूल वाद के निर्णय तक (जब तक अधिकारों का निर्णय नहीं हो जाता) मुस0 अतरकौर पत्नि ...लगा धाकड के नाम दर्ज किये जाने के आदेश तहसीलदार बयाना को दिए हैं जबकि रैस्पों0 द्वारा दिनांक 14.10.2015 को अदालत मातहत में एक प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया था कि उसके द्वारा प्रकरण को अन्य न्यायालय में स्थानान्तरित करने हेतु माननीय राजस्व मण्डल अजमेर में दिनांक 12.10.2015 को प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसमें स्टे भी जारी हो गया है। उक्त प्रार्थना पत्र को उपखण्ड अधिकारी द्वारा खारिज करते हुए अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.20105 को ही पारित कर दिया जबकि न्यायहित में रैस्पों0 की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र के आधार ...र वांछित समय दिया जाना चाहिए था। रैस्पों0 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र में ...र्णित तथ्य की पुष्टि अपीलान्ट द्वारा अदालत हाजा में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा ...पीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र संख्या 6893/15 में पारित आदेश दिनांक 12.10. ...15 से हो रही है। उक्त आदेश में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा उपखण्ड अधिकारी

...गीय आयुक्त
...पुर संभाग, भरतपुर

ना को यह आदेश दिये गए है कि उनके यहां विचाराधीन प्रकरण संख्या 9/2014 उनवान परभाती लाल बनाम सरपंच ग्राम पंचायत खोहरा में की जाने वाली अग्रिम कार्यवाही मण्डल के आगामी आदेश तक स्थगित रखी जावे। इस आदेश की प्रमाणित प्रतिलिपि अपीलान्ट द्वारा पेश की गई है। परन्तु अदालत मातहत द्वारा अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र व शपथ पत्र को नजरअंदाज कर अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जिसमें ग्राम पंचायत की ओर से स्वीकृत नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 20.04.2013 को निरस्त किया है जो कि उचित नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि निर्णय दिनांक 14.10.2015 को माननीय राजस्व मण्डल द्वारा किसी भी तरह की कोई कार्यवाही नहीं किए जाने हेतु अदालत मातहत को आदेश दिनांक 12.10.2015 के द्वारा पाबंद किया हुआ था। इसके अलावा मृतक खातेदार के नाम पुनः भूमि दर्ज किए जाने के संबंध में दिए गए आदेश को भी उचित नहीं कहा जा सकता है।

अतः उपरोक्त तथ्यों के परिपेक्ष्य में अपील अपीलान्ट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 14.10.2015 निरस्त कर प्रकरण उपखण्ड अधिकारी बयाना को इन निर्देशों के साथ प्रेषित किया जाता है कि माननीय राजस्व मण्डल में अपीलान्ट की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली संबंधी प्रार्थना पत्र के संबंध में अद्यतन स्थिति के बारे में जानकारी करने के बाद उभयपक्षकारन को सुनवाई का पर्याप्त व उचित अवसर देने के बाद नामान्तकरण संख्या 585 दिनांक 20.04.2013 के संबंध में पुनः नये सिरे से निर्णय पारित करें।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 25.7.2022 को सरे इजलास सुनाया गया।

(सांवर मल वर्मा)
संभागीय आयुक्त
भरतपुर

संभागीय आयुक्त
भरतपुर संभाग, भरतपुर